

कार्यालय:प्रभागीय वनाधिकारी,बिजनौर वन प्रभाग,नजीबाबाद

पत्रांक 2116 /4-1दिनांक,नजीबाबाद 10 जनवरी,2025

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय:-

जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4 Package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं सा०मा० प्रभाग बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022)

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या 1645/11-सी दिनांक 20.12.2024 एवं आपका पत्रांक संख्या 1636/14-1दिनांक 20.12.2024 एवं पत्रांक 1772/14-1दिनांक 03.01.2025 एवं परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद का पत्र सं० 17296 दिनांक 10.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद का पत्र सं० 17296 दिनांक 10.01.2025 द्वारा विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर प्रेषित किया है।

अतः परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाइन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीया,
प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

संख्या 2116 /4-1उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2:- प्रभागीय निदेशक सा०मा० बिजनौर वन प्रभाग बिजनौर।
- 3:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद।

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई - नजीबाबाद | Project Implementation Unit-Najibabad
म0 न0-3ए/2, प्रथम तल, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोतवाली रोड, नजीबाबाद, बिजनौर (उ0प्र0) | H.No.-3A/2, 1st Floor, Siddhballi Vihar Colony, Kotwali Road, Najibabad, Bijnor (UP)
दूरभाष/Phone : +91-1341-230162 | CUG : +91 8130006113 | ई-मेल/E-mail:piunajibabad@nhai.org
वेबसाइट /Website : www.nhai.org

NHAI/PIU-NBD/NH-119/77009/Forest (Bijnor)/KTW BYP/2023/17296 Dt.10.01.2025

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद, क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय: 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand under Bharatmala Pariyojna "Lot-4/Package-2."

- जनपद— बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar-Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna "Lot-4/Package-2." from Ch. 0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 है0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं सा0वा0 प्रभाग, बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 है0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 है0 संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-FP/UP/Road/157011/2022)

संदर्भ:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1874/11-सी-PSC Meeting, लखनऊ दिनांक 09.01.2025
2. कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद का पत्रांक 1772/14-1 दिनांक 03.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1772/14-1 दिनांक 03.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव परियोजना जांच समिति (PSC) में अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अध्यक्ष/नोडल अधिकारी, परियोजना जांच समिति की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजना जांच समिति की बैठक आहुत की गयी थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पत्रांक 1874/11-सी-PSC Meeting, लखनऊ दिनांक 09.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया है। कार्यवृत्त के अनुसार विषयांकित प्रस्ताव अध्यक्ष/नोडल अधिकारी, परियोजना जांच समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में आहुत समिति की बैठक में परीक्षणोपरान्त परिवेश 1.0 में अपलोड उपरोक्त पार्ट-1 एवं ऑनलाईन पार्ट-2 परियोजना जांच समिति की सहमति से अनुमोदन किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर प्रेषित करने का कष्ट करें।
सधन्यवाद!

भवदीय,

(सरफराज-उर-रहमान)
परियोजना निदेशक
प0का0ई0-नजीबाबाद

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर व प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित प्रस्ताव अग्रेत्तर स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

दिनांक 09.01.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत "परियोजना जॉच समिति" की बैठक का कार्यवृत्त।

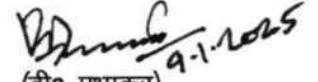
वन (संरक्षण) संशोधित नियम 2022 के अंतर्गत 05 हे० वन क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल वाले प्रस्तुत परियोजनाओं की पूर्णता की जॉच करने हेतु अध्यक्ष/नोडल अधिकारी, परियोजना जॉच समिति की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "परियोजना जॉच समिति" की बैठक आहूत की गयी।

बैठक में चन्दौली/बदायू/सहारनपुर/अलीगढ़/बिजनौर/बरेली/जौनपुर से सम्बन्धित जिलाधिकारी/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, परियोजनाओं से सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी एवं सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

बैठक में सम्मिलित किये गये प्रत्येक प्रस्तावों पर प्रकरणवार विस्तृत समीक्षा की गयी। परियोजना जॉच समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त इंगित की गयी कमियों एवं प्रकरणवार जिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर इंगित की गयी कमियों को एक साथ दूर करते हुये पूर्ण प्रस्ताव संस्तुति सहित शीघ्र प्रेषित किये जाये। समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की प्रकरणवार स्थिति संलग्न है (संलग्नक-1 से 7)।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

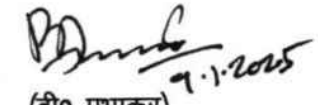
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-1874/11-सी-PSC Meeting, लखनऊ, दिनांक: जनवरी, 09, 2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र), कानपुर।
2. वन संरक्षक, बरेली/सहारनपुर/अलीगढ़/मुरादाबाद/वाराणसी।
3. सदस्य सचिव/प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, बाराबंकी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी/बदायू/शिवालिक (सहारनपुर)/अलीगढ़/ बिजनौर/नजीबाबाद/जौनपुर/बरेली।
5. जिला कलेक्टर/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, चन्दौली/बदायू/सहारनपुर/अलीगढ़/बिजनौर/बरेली/जौनपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (रा०मा०)/नोडल अधिकारी, लो०नि०वि०, लखनऊ।
- ई-मेल- cenh.up@gmail.com
7. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अलीगढ़।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, पीडब्ल्यूडी, बदायू।
10. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, नजीबाबाद जिला बिजनौर।
11. अधिशासी अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक, पी०आई०यू०, मोर्थ, प्रयागराज।
12. परियोजना निदेशक, पी०आई०यू०, एन०एच०ए०आई०, बदायू।
13. सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०, जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


(बी० प्रभाकर)

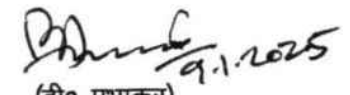
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-1874/11-सी-PSC Meeting, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
3. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


(बी० प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

परियोजना जाँच समिति (PSC-I) की बैठक दिनांक-09.01.2025

Agenda No.-01

Online Proposal No.:- FP/UP/WATER/516446/2024	Area- RF-11.535 ha.
District Name:- Chandauli	Division Name:- Kashi WL Division Ramnagar Varanasi
User Agency Name- U.P. Jal Nigam (Rural)	
Proposal Name- PROPOSED LAYING OF SURFACE WATER DISTRIBUTION PIPE LINE FOR NAUGARH GROUP OF VILLAGES UNDER JAL JEEVAN MISSION YOJANA IN DISTT. CHANDAULI BY U.P. JAL NIGAM (RURAL), CHANDAULI (U.P.)	

समिति की बैठक में प्रस्ताव में परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया, जिनको दूर करने के निर्देश दिये गये:-

1. ऑनलाइन के क्रमांक-4.1 एवं 3.4 में अपलोड प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल में गैर वनभूमि को दर्शाया नहीं गया है। अतः वनभूमि को हरे रंग तथा गैर वनभूमि को लाल रंग से दर्शाते हुये पूर्ण प्रस्ताव की संशोधित के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करें।
2. पूर्ण प्रस्ताव की संशोधित के0एम0एल0 फाइल के अनुसार संशोधित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन के क्रमांक-7 में अपलोड करें।
3. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोण हेतु दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि का विवरण, वचनबद्धता, खतौनी, के0एम0एल0 फाइल, Sol Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map को ऑनलाइन में यथास्थान पर अपलोड नहीं किया गया है।
4. परियोजना में प्रभावित अन्य सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र/उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
5. प्रभावित वनभूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं चिन्हित छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
6. मलवा उत्सर्जन सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
7. तीन वैकल्पिक रूट्स की के0एम0एल0 फाइल, जियो रिफरेंस मैप, टोपोशीट एवं तुलनात्मक जस्टीफिकेशन ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
8. प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष वर्तमान बाजार दर पर वनभूमि के मूल्य के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
9. CA हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त सम्बन्धी प्रमाण (Free from all sorts of encumbrances and encroachments) अपलोड नहीं है।
10. ऑनलाइन के क्रमांक-2.1, Legal Status of the Company/Organization/User Agency में Individual फीड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही सूचना फीड करें।
11. ऑनलाइन के क्रमांक-2.2, Name of the Company/ Organization/User agency में AMIT KUMAR फीड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही सूचना फीड करें।
12. ऑनलाइन के क्रमांक-7.1.1, Type of Compensatory Afforestation में Degraded Forest Land फीड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः यहाँ Non Forest Land फीड करें तथा Non Forest Land से सम्बन्धित सूचना/अभिलेख अपलोड करें।
13. ऑनलाइन के क्रमांक-19, Upload Muck Restoration Plan में अपलोड अभिलेख ओपन नहीं हो रहा है।
14. ऑनलाइन के Additional Information Detail में अपलोड लीज अवधि सम्बन्धी प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर लीज अवधि प्रमाण पत्र अपलोड करें।
15. एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
16. ऑनलाइन के Additional Information Detail में अपलोड proposal aspects अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
17. कवरिंग लेटर/ई0डी0एस0 का उत्तर ऑनलाइन अपलोड करें।


9.1.2025

(बी0 प्रमाणक)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ0प्र0, लखनऊ।

परियोजना जाँच समिति (PSC-I) की बैठक दिनांक-09.01.2025

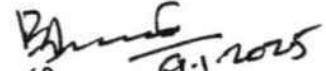
Agenda No.-02

Online Proposal No.: FP/UP/ROAD/516457/2024	Area- 8.16 ha. PF
District Name:- Budaun	Division Name:- Budaun
User Agency Name- Public Works Department	

Proposal Name- Protected Forest Land proposed to be diverted for the Widening of Puwayan-Tilhar-Dataganj-Budaun Marg (SH-126) From Ch. 95.230 to Ch. 122.430 (Length Km. 27.200) in district Budaun (Uttar Pradesh).

समिति की बैठक में प्रस्ताव में परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया, जिनको दूर करने के निर्देश दिये गये:-

1. प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाईल जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप आदि अन्य परियोजना से सम्बन्धित (पेट्रोल पम्प) की अपलोड है।
2. जस्टीफिकेशन नोट में प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।
3. ऑनलाईन-पार्ट-1 में पूर्ण विवरण फीड नहीं किया गया है।
4. Additional information details में परियोजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख वचनबद्धताएँ/प्रमाण पत्र एवं मैप आदि अपलोड नहीं है। अतः परियोजना से सम्बन्धित समस्त अभिलेख किये जाय।


(बी0 प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

परियोजना जॉच समिति (PSC-I) की बैठक दिनांक-09.01.2025

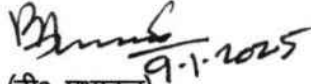
Agenda No.-03

Online Proposal No.:- FP/UP/OTHERS/515949/2024	Area- RF-705 ha. (0.1920 ha. RF)
District Name:- Shiwalik Division Saharanpur	Division Name:- Shiwalik Division Saharanpur
User Agency Name- PASHCHIMANCHAL VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED	

Proposal Name- नवीन जिला विद्युत विकास निधि के अन्तर्गत टौगियों ग्राम में विद्युतीकरण हेतु 293 एस0जी0 राजकीय नलकूप, कालूवाला पहाडीपुर वन चौकी से जहानपुर टौगियो तक 255 मीटर लम्बाई में 11 केवी एंव 450 एल0टी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के 0.1920 हे0 आरक्षित वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव।

समिति की बैठक में प्रस्ताव में परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया, जिनको दूर करने के निर्देश दिये गये:-

1. परियोजना में ऑनलाईन प्रस्ताव का क्षेत्रफल-705 हे0 भरा गया है, जबकि प्रस्ताव के पार्ट-1 में विषय 0.1920 हे0 आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल फीड किया गया है। उक्त प्रस्ताव में क्षेत्रफल में भिन्नता होने से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि प्रस्ताव का सही क्षेत्रफल क्या है। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।
2. ऑनलाईन-पार्ट-1 में पूर्ण विवरण फीड नहीं किया गया है।
3. Additional information details में परियोजना से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख वचनबद्धताएँ/प्रमाण पत्र एवं मैप आदि अपलोड नहीं है। अतः परियोजना से सम्बन्धित समस्त अभिलेख किये जाय।
4. विषयगत प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.1920 हे0 वनभूमि होने के कारण इस प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल से विज्ञा कर नया प्रस्ताव अपलोड करने के निर्देश दिये गये।


(बी0 प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

परियोजना जाँच समिति (PSC-I) की बैठक दिनांक-09.01.2025

Agenda No.-04

Online Proposal No.:- FP/UP/ROAD/477481/2024	Area- 16.33 ha. PF
District Name:- Aligarh	Division Name:- Aligarh
User Agency Name- NHAI	

Proposal Name- 4 laning of Aligarh-Palwal Section from Km 0+000 (starting from junction of NH-34 Aligarh) to Km 46+390 (Design Chainage) Package-I from (Khereshwar Junction Kurana) of NH-334D, Including Khair & Jattari Bypass and from Km 46+390 (Design Chainage) to Km 69+052 (Terminating at Junction EPE) (Package-II from Kurana- Eastern Peripheral Expressway) of NH-334D, in the state of Uttar Pradesh and Haryana on HAM mode under NH(0) scheme.

अध्यक्ष/नोडल अधिकारी, परियोजना जाँच समिति, उ०प्र०, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत समिति की बैठक में परीक्षणोपरान्त उपरोक्त ऑनलाईन पार्ट-1 परियोजना जाँच समिति की सहमत से अनुमोदन किया गया।


(बी० प्रमाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

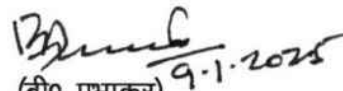


परियोजना जाँच समिति (PSC-I) की बैठक दिनांक-09.01.2025

Agenda No.-05

Online Proposal No.:- FP/UP/ROAD/443240/2023	Area- 44.5185 ha. PF
District Name:- Bareilly and Badaun	Division Name:- Bareilly-22.8967 ha, and Badaun-21.6218 ha
User Agency Name- NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA PIU BAREILLY	
Proposal Name- Proposed Forest Land to be diverted for Improvement and Up-gradation of NH-530B from Mathura (NH-44) to Bareilly (NH-30) in District:- Badaun & Bareilly.	

अध्यक्ष/नोडल अधिकारी, परियोजना जाँच समिति, उ०प्र०, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत समिति की बैठक में परीक्षणोपरान्त उपरोक्त ऑनलाईन पार्ट-1 परियोजना जाँच समिति की सहमत से अनुमोदन किया गया।


(बी० प्रभाकर) 9.1.2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।



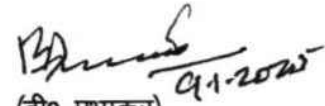
परियोजना जाँच समिति (PSC-I & II) की बैठक दिनांक-09.01.2025

Agenda No.-06

Online Proposal No.:- FP/UP/Road/157011/2022	Bijnor - 0.66 PF Nazibabad - 4.61 RF Total Area - 5.27 ha.
District Name:- Bijnor & Nazibabad	Division Name:- Bijnor & Nazibabad
User Agency Name- NHAI	

Proposal Name- Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to Kotdwar-Pauriroad in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2 from Ch 0+000 to 5+900 under forest division Najibabad

अध्यक्ष/नोडल अधिकारी, परियोजना जाँच समिति, उ०प्र०, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत समिति की बैठक में परीक्षणोपरान्त परिवेश 1.0 में अपलोड उपरोक्त ऑनलाईन पार्ट-1 एवं ऑनलाईन पार्ट-2 परियोजना जाँच समिति की सहमत से अनुमोदन किया गया।


(बी० प्रभाकर) 01-2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

परियोजना जॉच समिति (PSC-II) की बैठक दिनांक-09.01.2025

Agenda No.-07

Online Proposal No.:- FP/UP/ROAD/441555/2023	Area- 14.836 ha. PF
District Name:- Jaunpur	Division Name:- Jaunpur
User Agency Name- Ministry of Road Transport & Highways	

Proposal Name- Protected Forest Land proposed to be diverted for the work of widening to 4 lane of Km. 108.500 To Km. 138.970 (Package-II) in between Jaunpur Akbarpur Section of NH-135A in district Jaunpur (Uttar Pradesh).

समिति की बैठक में प्रस्ताव में परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया, जिनको दूर करने के निर्देश दिये गये:-

1. ऑनलाइन पार्ट-2 के क्रमांक-10, 11, 12, 13, 14, एवं 15 से सम्बन्धित सूचना एवं सम्बन्धित अभिलेख अपलोड नहीं है।
2. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल, Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
3. प्रभागीय निदेशक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
4. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
5. गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक-वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र ऑनलाइन में अपलोड नहीं है।
6. परियोजना में पातन होने वाले वृक्षों का वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
7. एन0पी0वी0 की गणना ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
8. प्रस्ताव में 10 किमी0 परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के संबंध में प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
9. अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
10. प्रभागीय निदेशक की संस्तुति का हिन्दी भाग-2 ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
11. प्रस्ताव की एक सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
12. कवरिंग लेटर/ई0डी0एस0 का उत्तर ऑनलाइन अपलोड करें।


(बी0 प्रभाकर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।